भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5175

(24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डीएवाई-एनआरएलएम का कार्यान्वयन

5175. श्री दुरई वाइको:

क्या ***ग्रामीण विकास*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण महिलाओं में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु में, विशेषकर तिरुचिरापल्ली और पुडुकोट्टई जिलों में, कार्यान्वित किए गए ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान इन जिलों में कितनी महिलाओं को सूक्ष्म और लघु उद्यम आरंभ करने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार का इन जिलों में ग्रामीण महिला उद्यमियों हेतु प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार संपर्क का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को सुदृढ़ करने और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): जी, हाँ। ग्रामीण विकास मंत्रालय, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाय-एनआरएलएम) की समग्र योजना के तहत देश में गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से ग्रामीण गरीब युवाओं के लाभप्रद रोजगार हेतु कौशल विकास के क्षेत्र में **तमिलनाडु** राज्य सहित दो केंद्र प्रायोजित योजनाएं नामतः दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाय) और ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

I. **<u>दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाय):</u>** डीडीयू-जीकेवाय 15-35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए एक नियोजन-संबद्ध कौशल विकास कार्यक्रम है। यह ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगारपरक कौशल से सशक्त बनाता है और नियमित श्रम बाजारों में उनकी भागीदारी को सुगम बनाता है, जिससे उन्हें न्यूनतम मजदूरी पर या उससे अधिक नियमित मासिक वेतन वाली नौकरियां मिलती हैं। डीडीयू-जीकेवाय दिशा-निर्देश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (50%), महिलाओं (33%) और दिव्यांगजनों (5%) के सामाजिक समावेशन का प्रावधान करते हैं।

II. **<u>ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई):</u>** ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाय-एनआरएलएम) के तहत गरीबी उन्मूलन का एक कार्यक्रम है, जो न्यूनतम 70% नियोजन के अधिदेश के साथ कौशल विकास के माध्यम से स्थाई आजीविका को बढ़ावा देता है। यह कौशल भारत मिशन की एक रणनीतिक शाखा के रूप में कार्य करता है और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के प्रचलित मानदंडों का पालन करता है।

आरएसईटीआई, ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र सरकारों और प्रायोजक बैंकों के बीच त्रिपक्षीय भागीदारी के माध्यम से संचालित होता है। बैंक प्रत्येक लीड जिले में कम से कम एक आरएसईटीआई स्थापित करते हैं जो स्व-रोजगार और सूक्ष्म उद्यम विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण युवाओं (18-50 वर्ष) को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित, मुख्यतः आवासीय, अल्पकालिक राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) संरेखित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, साथ ही ऋण संयोजन और दो वर्षों की मार्गदर्शी सहायता भी देते हैं।

यह योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगजनों, एसएचजी सदस्यों की समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करती है और विभिन्न सरकारी योजनाओं और विभागों के साथ अभिसरण के माध्यम से एनआरएलएम, पीएमईजीपी, डीएवाई-एनयूएलएम, मुद्रा, पीएमएवाई-जी, मनरेगा तथा अन्य आजीविका और उद्यमिता संवर्धन पहलों के तहत चिह्नित लाभार्थियों तक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करती है, जिससे रोजगार क्षमता बढ़ती है, संकट प्रवास कम होता है और ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ होती है।

डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई के तहत तिरुचिरापल्ली और पुडुकोट्टई जिलों में प्रशिक्षित और नियोजित महिला उम्मीदवारों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ): सरकार, महिलाओं सहित ग्रामीण गरीबों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तिरुचिरापल्ली और पुडुकोट्टई में आरएसईटीआई कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार संपर्क को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। आरएसईटीआई कौशल विकास और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) आयोजित करते हैं, जिनमें महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए कई पाठ्यक्रम हैं, जैसे कि सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण और सेवा-उन्मुख गतिविधियां।

इसके अलावा, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को मार्गदर्शी सहायता प्रदान की जाती है और सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए बैंकों के साथ ऋण संयोजन की सुविधा दी जाती है। इसके अतिरिक्त, महिला उद्यमियों को डीएवाई-एनआरएलएम, मुद्रा और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से सहायता दी जाती है, जो वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं और उद्यम विकास को बढ़ावा देती हैं। संस्थागत सहायता, डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्व-सहायता समूह नेटवर्क के माध्यम से बाजार संपर्क बेहतर बनाने के प्रयास भी किए जाते हैं।

(ङ): सरकार ने अन्य योजनाओं के अभिसरण में आरएसईटीआई के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को सुदृढ़ करने और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। आरएसईटीआई, एसएचजी सदस्यों, विशेषकर महिलाओं के लिए कौशल विकास और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) आयोजित करते हैं ताकि उनकी उद्यमशीलता क्षमताओं को बढ़ाया जा सके और उन्हें स्व-रोजगार गतिविधियां अपनाने में सक्षम बनाया जा सके। व्यवहार्य महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को समर्थन देने के लिए आवश्यकता-आधारित और स्थानीय रूप से प्रासंगिक व्यवसायों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

इसके अलावा, प्रशिक्षित एसएचजी सदस्यों को प्रशिक्षण-पश्चात मार्गदर्शी सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में मार्गदर्शन, उद्यम प्रबंधन और सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों के साथ ऋण संयोजन की सुविधा शामिल है।

आरएसईटीआई, एसएचजी को ऋण प्रवाह बेहतर बनाने और समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और संबंधित विभागों के साथ भी समन्वय करते हैं। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों की स्थिरता, आय सृजन और मापनीयता बढ़ाने के लिए इन पहलों को निरंतर सुदृढ़ करती रहती है।

अनुबंध-I

"डीएवाई-एनआरएलएम का कार्यान्वयन" के संबंध में 24.03.2026 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 5175 के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विगत 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीडीयू-जीकेवाय और आरएसईटीआई के तहत तिरुचिरापल्ली और पुडुकोट्टई में प्रशिक्षित और नियोजित/स्व रोजगार करने वाली महिला उम्मीदवार:

योजना	**डीडीयू-जीकेवाय**				**आरएसईटीआई**			
जिला	**तिरुचिरापल्ली**		**पुडुकोट्टई**		**जिला**		**तिरुचिरापल्ली**	
वित्त वर्ष	**महिला प्रशिक्षित**	**महिला नियोजित**	**महिला प्रशिक्षित**	**महिला नियोजित**	**महिला प्रशिक्षित**	**महिला नियोजित**	**महिला प्रशिक्षित**	**महिला नियोजित**
2020-21	184	158	73	70	344	695	321	280
2021-22	354	282	200	158	367	358	377	522
2022-23	317	246	300	186	699	518	651	462
2023-24	280	219	298	178	716	647	669	539
2024-25	165	62	115	87	956	866	889	915
2025-26 (फरवरी 2026 तक)	55	33	72	13	832	749	866	788
कुल	**1355**	**1000**	**1058**	**692**	**3914**	**3833**	**3773**	**3506**

स्रोत: तमिलनाडु राज्य सरकार (डीडीयू-जीकेवाय) और एनएसीआईआर (आरएसईटीआई)।
